(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 4149–दो/2016 – विरूद्व आदेश दिनांक 31–3–2016 – पारित व्दारा – आयुक्त, शहडौल संभाग,शहडौल – प्र0क0 69/2015–16 अपील

प्रबंधक/प्राचार्य सेन्ट जोसेफ इंगलिस मीडिरूम स्कूल
पाली गोरईया व्दारा सबॉस्टियन चार्ज पुत्र वर्गिस
निवासी पाली जिला उमरिया , मध्य प्रदेश ———अपीलॉट

विरूद्व

1– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर उमरिया
2– श्रीमती प्रेमवती वाई पुत्री बिहारी सिंह गौड़
निवासी सेन्ट जोसेफ इंगलिस मीडिरूम स्कूल
पाली गोरईया तहसील पाली जिला उमरिया ———रिस्पाण्डेन्टस्

(अपीलांट के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(रिस्पा.क.1 के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव)
(रिस्पा.क.2 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनॉक 08 – 03 – 2018 को पारित)

यह अपील आयुक्त, शहडौल संभाग,शहडौल व्दारा प्र0क0 69/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम गोरई तहसील पाली स्थित भूमि सर्वे कमांक 286/1 रकबा 2.00 एकड़ = 0.809 हैक्टर रिस्पा0 कमांक 2 के नाम थी एंव ग्राम बन्नौदा तहसील पाली स्थित भूमि सर्वे कमांक 697/3 रकबा 1.011 हैक्टर, सर्वे कमांक 717 रकबा 0.113 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.214 हैक्टर (आगे दोनों पक्षकारों की भूमियों को वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के भूमिस्वामी सेवास्टियन जार्ज थे। अपीलांट एंव रिस्पांडेन्ट क–2 ने मिलकर मध्य प्रदेश भू राजस्व

संहिता, 1959 की धारा 167 के अंतर्गत कलेक्टर जिला उमरिया को विनिमय का आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण क्रमांक 366 अ–74/2009–10 पॅजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 27–7–2010 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमियों का विनिमय स्वीकार किया।

दिनॉक 9–12–2014 को ग्राम पाली के 7 व्यक्तियों व्दारा हस्ताक्षरित आवेदन कलेक्टर उमरिया को प्रस्तुत हुआ तथा बताया गया कि आदेश दिनॉक 27–7–2010 से आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी के पक्ष में अंतरण किए जाने का आदेश दिया गया है जो भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 एंव धारा 165 (6) के अंतर्गत शून्यवत् है इसलिये निरस्त किया जाय। कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण क्रमांक 03/2014–15 पुनरावलोकन पॅजीबद्व किया तथा प्रस्ताव दिनॉक 21–1–15 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर को प्रस्तुत कर पुनरावलोकन की अनुमति मांगी। तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल , मध्य प्रदेश ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 225–तीन/15 विविध में पारित आदेश दिनांक 1–10–15 से पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की। कलेक्टर उमरिया ने प्रकरण क्रमांक 03/2014–15 पुनरावलोकन में आदेश दि. 19 फरवरी 2016 पारित किया तथा तत्का. कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 366 अ–74/2009–10 में पारित भूमि विनिमय आदेश दिनॉक 27–7–2010 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने प्रथम अपील आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्र0क्र0 69/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2016 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्व पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के क्रम में कलेक्टर उमरिया के प्रकरण क्रमांक 03/2014–15 पुनरावलोकन में आदेश दिनांक 19 फरवरी 2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि कलेक्टर उमरिया ने इस आदेश व्दारा तत्का. कलेक्टर उमरिया

के आदेश दिनांक 27–7–2010 को इस आधार पर निरस्त किया है कि श्रीमती प्रेमवती वाई गोंड़ अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्य है और प्रबंधक प्राचार्य निवासी सेंट जोसेफ इंगलिस मीडियम स्कूल पाली गोरई या व्दारा सेवास्टियन जार्ज पिता श्री वर्गिस पाली प्रोजेक्ट अनुसूचित जनजाति से भिन्न/गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति है इसलिये अंतरण का संव्यवहार निषिद्व होने से संहिता की धारा 167 के अधीन विनिमय नहीं किया जा सकता। कलेक्टर उमरिया व्दारा आदेश दिनॉक 19 फरवरी 2016 में निकाले गये निष्कर्ष पर विचार करने पर स्थिति यह है कि यह निर्विवाद है कि श्रीमती प्रेमवती वाई गोंड़ अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्य है जिसके व्दारा धारित भूमि का विनिमय प्रबंधक प्राचार्य निवासी सेंट जोसेफ इंगलिस मीडियम स्कूल पाली गोरई या व्दारा सेवास्टियन जार्ज पिता श्री वर्गिस पाली प्रोजेक्ट अनुसूचित जनजाति से भिन्न/गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि से किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) में इस प्रकार व्यवस्था दी गई है :–

धारा 165 (6) – उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी किसी ऐसी जनजाति के , जिसे कि राज्य सरकार ने उस संबंध में अधिसूचना व्दारा, उस पूरे क्षेत्र के लिये, जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (एबारीजनल ट्राइब) होना घोषित किया हो, किसी भूमिस्वामी का अधिकार –

1. **ऐसे क्षेत्रों में जिनमें आदिम जनजातियॉ प्रमुख रूप से निवास करती हों, तथा ऐसी तारीख से जिसे/ जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना व्दारा, विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिश्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो, विक्रय व्दारा या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणमस्वरूप न तो अंतरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगी।**

विचाराधीन प्रकरण की भी यही स्थिति है क्योंकि विरसिंहपुर पाली (सोहागपुर क्षेत्र) तहसील को मध्य प्रदेश शासन व्दारा अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है जिसमें मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) (एक) के प्रावधान लागू होते हैं और ऐसे क्षेत्रान्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भूमिस्वामी का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का नहीं है, विकय के माध्यम से अथवा अन्य माध्यम से किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप हुये अंतरण को निषेधित करता है। जबकि श्रीमती प्रेमवती वाई गोंड़ अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्य है और प्रबंधक

प्राचार्य निवासी सेंट जोसेफ इंगलिस मीडियम स्कूल पाली गोरई या व्दारा सेवास्टियन जार्ज पिता श्री वर्गिस पाली प्रोजेक्ट अनुसूचित जनजाति से भिन्न/गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति है इसलिये तत्का.कलेक्टर उमरिया व्दारा आदेश दिनांक 27–7–2010 उक्तांकित भूमि का किया गया विनियम अंतरण स्वरूप का संव्यवहार होने से निषिद्व रहा है और ऐसी भूमि का किया गया विनिमय संहिता की धारा 165 (6) एक के प्रावधान के उल्लॅघन स्वरूप होने के आधार पर कलेक्टर उमरिया व्दारा आदेश दिनॉक 19 फरवरी 2016 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है जिसके कारण आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल ने प्र0क0 69/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2016 अपील निरस्त की है। दोंनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में दिये गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप करना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, शहडौल संभाग, शहडौल व्दारा प्र0क0 69/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 31 मार्च 2016 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
मध्य प्रदेश ग्वालियर